क्र.सं.5

39

6

कार्यालय : आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,,जयपुर–05

कमांक : एफ.15(1) आयु.उ./ईएम अनु./ईएम मार्गदर्शन/2011 दिनांक : 3/3/2011

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
समस्त

विषय : रंगाई छपाई इकाईयों को ई.एम.पार्ट–द्वितीय की अभिस्वीकृति जारी करने के संबंध में ।
प्रसंग : उद्योग(ग्रुप–I)विभाग आदेश प.6(1)उद्योग/I/2011 दिनांक 21.2.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत रंगाई–छपाई उद्योगों के पंजीयन पर दिनांक 13.10.1982 से प्रतिबंध होने के कारण इन उद्योगों को पंजीयन जारी नहीं किये गये थे, मगर कुछ उद्यमियों द्वारा अपनी इकाईयाँ स्थापित कर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया था । उत्पादन में आ जाने के कारण इन उद्योगों को उद्यमिता ज्ञापन–I की अभिस्वीकृति जारी करने का कोई औचित्य नहीं है । अब राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल उद्यमिता ज्ञापन भाग–I की अभिस्वीकृति के अभाव में ऐसी इकाईयों को नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं कर रहा है ।

मै.विजय लक्ष्मी सुपर प्रोसेसर्स, जोधपुर के प्रकरण में दिनांक 19.8.2010 को माननीय उद्योग मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चूँकि इकाई स्थापित हो चुकी है एवं उत्पादनरत है, अतः उद्यमिता ज्ञापन–II की अभिस्वीकृति इकाई को इस शर्त के साथ जारी कर दी जावे कि वह अभिस्वीकृति जारी होने की तिथि से तीन माह की समयावधि के अंदर राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल से कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त कर प्रस्तुत करेगी । यदि इकाई निर्धारित समयावधि में कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त कर प्रस्तुत नही कर पाती है, तो इकाई की अभिस्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

अतः आपके जिले में यदि ऐसे प्रकरण प्राप्त हो, तो उनका निस्तारण उपरोक्तानुसार करें ।

आयुक्त, उद्योग

कमांक : एफ.15(1) आयु.उ./ईएम अनु./ईएम मार्गदर्शन/2011 दिनांक : 3/3/2011
प्रतिलिपि :

1 अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल, जयपुर ।
2 उपशासन सचिव, उद्योग(ग्रुप–I)विभाग राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर को उनके आदेश कमांक – प.6(1)उद्योग/I/2011 दिनांक 21.2.2011 के कम में ।
2 मास्टर फाइल

March 03, 2011
संयुक्त निदेशक, उद्योग

D:\room no 408-a\E.M

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प- 6 (1) उद्योग/1/2011 दिनांक : 21/2/2011

:: आदेश ::

राज्य में रंगाई छपाई उद्योगों का पंजीयन कुछ स्थानों पर प्रतिबंधित किये जाने के पूर्व प्रसारित निर्देश दिनांक 13.10.1982 एवं तदोपरान्त समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण करते हुए सम्पूर्ण राज्य में रंगाई छपाई उद्योगों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन भाग-I एवं II की अभिस्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में नियमानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :

1. **उद्यमी ज्ञापन भाग-I :**

उद्यमी ज्ञापन भाग-I जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर अभिस्वीकृति जारी की जावे। ऐसी स्वीकृति जारी करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल के अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रदूषण ना फैलाने संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

2. **उद्यमी ज्ञापन भाग-II :**

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन भाग-II हेतु निर्धारित प्रपत्र में उद्यमी द्वारा इस आशय की घोषणा (अण्डरटेकिंग) की जाती है कि उसने केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग से उद्यम स्थापना हेतु अनुमोदन/सहमति/लाईसेंस/परमिट प्राप्त कर लिया है। अतः उद्यमी ज्ञापन भाग-II कार्यालय में प्राप्त होने पर उसकी अभिस्वीकृति उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसी अवस्था में जारी की जावे जब उद्यमी द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल का वैद्य अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रदूषण ना फैलाने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर दी हो।

उक्त आदेश पर्यावरण विभाग द्वारा पत्रावली क्रमांक प.2(29)पर्या/2010 पर दिनांक 8.2.2011 को प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

उप शासन सचिव, उद्योग

क्रमांक :   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. संयुक्त विकास आयुक्त, कार्यालय विकास आयुक्त (MSME), भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली--110108
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान--जयपुर।
4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
5. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उपकेन्द्र, समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

21/2/11

उप शासन सचिव, उद्योग